विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने खोला प्रोत्साहनों का पिटारा

योगी कैबिनेट ने प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी, फार्च्यून-500 कंपनियों पर विशेष नजर

- 100 करोड़ से अधिक निवेश करने पर दी जाएंगी छूट और सुविधाएं
- जमीन खरीदने, पेटेंट तक के लिए विशिष्ट रियायतें व वित्तीय प्रोत्साहन

लखनऊ में लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जानकारी देते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना • जागरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विदेश और फार्च्यून-500 कंपनियों से अधिक से अधिक निवेश हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) एवं फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार कुछ विशिष्ट सुविधाएं, रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन देगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में उप्र को बहुत कम एफडीआइ हासिल हुआ है। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2022 तक महाराष्ट्र को 3.74 लाख करोड़ रुपये और कर्नाटक को 3.21 लाख करोड़ रुपये एफडीआइ हासिल हुआ, वहीं इस अवधि में उप्र में सिर्फ 9,435 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। इसलिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए यह नई नीति लेकर आई है।

नीति के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को विकास प्राधिकरणों की वर्तमान आवंटन दरों में रियायत देते हुए भूमि आवंटित की जाएगी। उन्हें भूमि की लागत को छोड़कर पूंजी निवेश पर गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर) तथा मध्यांचल में 30 प्रतिशत तथा बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा के अधीन सात समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी।

ऐसी परियोजनाओं को 100 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी जो भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा के बराबर होगी। इन कंपनियों को उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट दी जाएगी। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

कंपनियों को सरकार पांच वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5,000 रुपये की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इकाई परिसर में उत्प्रवाह उपचार संयंत्र और संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित करने के लिए इसकी लागत का 50 प्रतिशत या 2.5 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, की पूंजीगत सब्सिडी संयंत्र का संचालन शुरू होने पर एकमुश्त दी जाएगी। परिसर के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों को आवास/डारमेट्री व सामूहिक सुविधा का विकास करने पर इसकी लागत का 10 प्रतिशत या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, सात समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी।

एसजीएसटी के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

कंपनी को परिवर्तनीय कर ढांचे का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने और उसका रिफंड प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो सरकार उसे उप्र जीएसटी अधिनियम-2017 की स्वीकार्य सीमा तक मानक निवेश अवधि के भीतर कैपिटल गुड्स पर भुगतान किए गए एसजीएसटी इनपुट को वापस करेगी। कंपनी को रिफंड की सीमा तक एसजीएसटी क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। यह रीफंड उत्पादन की तारीख से पांच समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। कंपनी को शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या कैपिटल गुड्स पर एसजीएसटी रिफंड में से एक ही विकल्प पर विचार करना होगा।

मौजूदा इकाइयों को उप्र लाने पर सब्सिडी

अपनी मौजूदा इकाइयों को विदेश या देश के अन्य राज्यों से उप्र में स्थानांतरित करने वाली फर्मों को मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के आयात पर अधिकतम दो करोड़ रुपये प्रति इकाई तक की परिवहन लागत की आधी रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के बाद एकमुश्त दी जाएगी। पेटेंट पंजीकरण के लिए भी निवेशकों को शुल्क व्यय की 75 प्रतिशत राशि एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी। घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 20 लाख रुपये होगी।

जौहर ट्रस्ट से वापस ली जाएगी 41,181 वर्ग फीट जमीन » 2

कैबिनेट के अन्य फैसले » 2